

नव वर्ष के
शुभ अवसर
पर

गाज़ियाबाद स्थित



हमारा प्रयास
आपका आवास

सिद्धार्थ विहार योजना व मंडोला योजना

में फ्लैट प्राप्त करने का सुनहरा अवसर



परिषद की **सिद्धार्थ विहार योजना** में E.W.S. फ्लैट (G+3 Type)-18 फ्लैट्स, गंगा यमुना/हिंडन-646 फ्लैट्स तथा **मंडोला योजना** के अन्तर्गत आसरा-1379 फ्लैट्स, सपना-331 फ्लैट्स, समाजवादी आवास-1950 फ्लैट्स, बहुखण्डीय (2BHK)-1486 फ्लैट्स तथा बहुखण्डीय (3BHK)-316 फ्लैट्स का विभिन्न श्रेणियों में “प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त” के आधार पर फ्लैट्स के विक्रय हेतु पंजीकरण खोला गया है जो वर्तमान में प्रभावी है, परिषद द्वारा आवंटियों के हित में भुगतान प्रक्रिया व अन्य सुविधायें निम्नानुसार प्रदान की जाती हैं।

क्र० सं०	सम्पत्ति श्रेणी	पंजीकरण देय धनराशि (कुल मूल्य का 5 प्रतिशत) के अतिरिक्त दो माह में देय धनराशि	अवशेष देय धनराशि की किश्तों की संख्या
1.	दुर्बल आय वर्ग	10 प्रतिशत	10 से 15 वर्ष (120 से 180 किश्तों में)
2.	अल्प आय वर्ग	15 प्रतिशत	10 से 15 वर्ष (120 से 180 किश्तों में)
3.	मध्यम आय वर्ग	15 प्रतिशत	10 से 15 वर्ष (120 से 180 किश्तों में)
4.	उच्च आय वर्ग	15 प्रतिशत	10 से 15 वर्ष (120 से 180 किश्तों में)

नोट : (1) यदि कोई आवंटी पूर्ण धनराशि तीन माह में जमा करना चाहता है तो परिषद नियमों के अन्तर्गत 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। (2) अगर कोई ग्रुप में एक साथ 10 या 10 से अधिक फ्लैट लेने के लिए इच्छुक हो तो उन्हें कुल मूल्य पर 1 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। (3) यदि कोई संस्था एक पूरा टावर लेने को इच्छुक हो तो उसे सामान्य मूल्यांकन पर भवनों को आवंटित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त योजनाओं से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर देखी जा सकती है।

आवास आयुक्त

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.com>, E-mail : info@upavp.com

भारतीय मानक मूले

IS 15700

